

!! जय कर्मचारी !!

!! जय संघ !!



# पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ

(बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध)

पटना विश्वविद्यालय, अशोक राजपथ, पटना - 800 005

सुबोध कुमार

ईमेल-puea1917@gmail.com

फरमान अब्बास

अध्यक्ष

महासचिव

9835447023, 9431008306

9835898849

उपाध्यक्ष

नीरज चंद्रा

9835409414

सुजीत कुमार गुप्ता

9835763201

संयुक्त सचिव

सोहन प्रसाद सिंह

7992481202

जितेन्द्र कुमार सिंह

9798284565

मो० इकबाल

9304004604

क्रोषाध्यक्ष

नसीम खाँ

9801427177

संयुक्त क्रोषाध्यक्ष

पूजा आनंद

7903813285

9262952115

पत्रांक सं० PUEA/289/25

दिनांक 24/03/2025

सेवा में,

कुलपति

पटना विश्वविद्यालय, पटना ।

विषय:— महामहिम राज्यपाल के समक्ष हुए समझौते एवं अन्य मांगों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन के नकारात्मक रवैये के कारण पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलपति के समक्ष तीन दिवसीय धरना, प्रदर्शन करने के संबंध में ।

महाशय,

पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की आम सभा की आपात बैठक दिनांक 08.03.2025 में लिए गये निर्णय के आलोक में महामहिम राज्यपाल के समक्ष हुए समझौते एवं अन्य मांगों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन के नकारात्मक रवैये के कारण पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलपति के समक्ष दिनांक 07-09 अप्रैल 2025 को अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे अपराह्न तक पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सभी सदस्य तीन दिवसीय धरना, प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे ।

माँग पत्र

1. महामहिम राज्यपाल के समक्ष हुए समझौते के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांक PU/VC Res/16 दिनांक 13.12.2024 का अनुपालन किया जाय ।
2. बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 15/एम1-135/2023-885 दिनांक 19.03.2025 को निरस्त किया जाय ।
3. परिनियत एवं गैर परिनियत समितियों में कर्मचारी विरोधी सदस्यों को तत्काल हटाया जाय ।
4. चतुर्थवर्गीय कर्मियों को राज्य सरकार के अनुरूप ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 में वेतन निर्धारण किया जाय ।
5. सचिवालय सहायकों की भौति विश्वविद्यालय में सहायकों को 4600/- का ग्रेड पे देते हुए वेतन निर्धारण किया जाय ।
6. पटना मेट्रो प्राधिकरण एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 से जमीन के बदले प्राप्त राशि से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण कराया जाय ।
7. सभी परिनियत समितियों में संघ के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष एवं महासचिव को शामिल किया जाय ।
8. गैर परिनियत समितियों में संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव को सदस्य के रूप में नामित किया जाय ।
9. सर्वोच्च न्यायालय वाद संख्या 516/2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में महाविद्यालय के प्रधान लिपिक/प्रधान सहायक को प्रशाखा पदाधिकारी का दर्जा दिया जाय ।
10. केन्द्रीय औषधालय में सभी प्रकार की जाँच की सुविधा प्रदान की जाय ।
11. केन्द्रीय औषधालय सहित पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी मारणशील पदों को पुर्नजीवित किया जाय ।
12. केन्द्रीय औषधालय में फिजियोथेरेपी केन्द्र की स्थापना किया जाय ।
13. जय प्रकाश नारायण अनुषद भवन का आवंटन कर्मचारी संघ के कार्यक्रम हेतु निःशुल्क किया जाय ।
14. सभी शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर अविलम्ब बहाली की जाय ।
15. स्थानान्तरण/प्रोन्नति इत्यादि में ईकाई का अनुपालन किया जाय ।

Pg- 01/02



!! जय कर्मचारी !!

!! जय संघ !!



# पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ

(बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध)

पटना विश्वविद्यालय, अशोक राजपथ, पटना - 800 005

सुबोध कुमार

ईमेल-puea1917@gmail.com

फरमान अब्बास

अध्यक्ष

महासचिव

9835447023, 9431008306

9835898849

उपाध्यक्ष

नीरज चंद्रा

9835409414

सुजीत कुमार गुप्ता

9835763201

संयुक्त सचिव

सोहन प्रसाद सिंह

7992481202

जितेन्द्र कुमार सिंह

9798284565

मो० इकबाल

9304004604

कोषाध्यक्ष

नसीम खाँ

9801427177

संयुक्त कोषाध्यक्ष

पूजा आनंद

7903813285


9262952115

पत्रांक सं० .....

दिनांक 24/3/25

16. नियम विरुद्ध किये गये स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति को अविलम्ब समाप्त किया जाय।
17. सभी शिक्षकेत्तर पदाधिकारी के पदों पर शिक्षकेत्तर कर्मियों को पदभार दिया जाय।
18. चतुर्थवर्गीय कर्मियों को गरम, ठंडा वर्दी की आपूर्ति किया जाय।
19. इंडियन बैंक की शाखा के साथ एस0 बी0 आई0 या किसी अन्य सरकारी बैंक की शाखा खोला जाय।

अध्यक्ष के अनुमति से,


  
(फरमान अब्बास)

महासचिव

दिनांक- 24.03.2025

ज्ञाप संख्या- PUEA/289/25

प्रतिलिपि:- (1) महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना, (2) माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव, बिहार सरकार, पटना, (3) मुख्य सचिव, बिहार, पटना, (4) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना, (5) निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना, (6) निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना (7) अध्यक्ष एवं महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(फरमान अब्बास)


महासचिव

दिनांक- 24.03.2025

ज्ञाप संख्या- PUEA/289/25

प्रतिलिपि:- (1) कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना (2) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना (3) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना (4) सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय, पटना (5) सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय, पटना (6) सभी छात्रावासों के अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय, पटना (7) सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना (8) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय औषधालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना (9) प्रेस अधीक्षक, प0 वि0 वि0 प्रेस, (10) पुस्तकालयाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय (11) विश्वविद्यालय अभियंता, निर्माण विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना (12) प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर/ आई0 टी0 सेल, पटना विश्वविद्यालय, पटना (13) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सभी संस्थानों के प्रधान से अनुरोध है कि वे अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को उक्त धरना, प्रदर्शन में भाग लेने हेतु छूट देने की कृपा करें। उक्त धरना, प्रदर्शन से अगर विश्वविद्यालय का कार्य बाधित होता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण जिम्मेवार होंगे।

  
(फरमान अब्बास)

महासचिव

Pg- 02/02